

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र/2/14

जयपुर, दिनांक : 26 FEB 2014

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार नियमानुसार किराये पर इस विभाग के आदेश संख्या प. 18(1)साप्र/2/2013-पार्ट, दिनांक 15.10.2013 व 19.12.2013 के द्वारा आवंटित किए गए थे, जिनका निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं लेने के कारण निम्नांकित कर्मचारियों को आवंटित किए गए आवासों का आवंटन एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं -

क. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि
1	125/06	श्री श्रवण कुमार नील सहायक उप निरीक्षक सी.आई.डी., पुलिस अधीक्षक आसूचना, जयपुर	GAD-V-T-1/149, विद्याधर नगर	30.6.2036
2	123/06	श्री एलमसिंह रावत कनिष्ठ लिपिक न्यायाधीश औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर	5-डी-5, गांधीनगर	1.11.2040

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)  
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक (आसूचना), सीआईडी, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
6. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गाँधीनगर/विद्याधर नगर, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर/पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर।
9. सम्बन्धित कर्मचारीगण
10. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
11. रक्षित पत्रावली।

(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)  
वरिष्ठ शासन उप सचिव